



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

Fax: 0141-2385027(O), E-Mail ID: rajpr.dsplan@rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ.40परावि/आप्र/डीपीसी/15/ । ७०६

जयपुर, दिनांक: १६/११/२०१

संशोधित आदेश:

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 121 (सपठित राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 का नियम 350) के अनुसरण में जिला हनुमानगढ़ के लिए जिला आयोजना समिति का गठन/पुनर्गठन विभागीय समसंख्यक पत्र क्रमांक एफ4 ० परावि/आप्र/डीपीसी/369 दिनांक 06.04.2015 द्वारा किया गया था। जिला आयोजना समिति हनुमानगढ़ के लिये शहरी क्षेत्र में चार सदस्यों का निर्वाचित हुआ है। अतः पूर्व में जारी किये गये आदेशों के क्रम में चार नव निर्वाचित सदस्यों को सम्मिलित करते हुये जिला आयोजना समिति का पुनः निम्नानुसार गठन/पुनर्गठन किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	अध्यक्ष / सदस्य	निर्वाचित / नामित
1.	श्री कृष्ण कुमार चोटिया	अध्यक्ष	-
2.	श्री संदीप	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित घोषित(ग्रामीण क्षेत्र)
3.	श्रीमती चन्द्रमुखी	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित घोषित(ग्रामीण क्षेत्र)
4.	सुश्री कौशल्या	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित घोषित(ग्रामीण क्षेत्र)
5.	श्री दुली चन्द	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित घोषित(ग्रामीण क्षेत्र)
6.	श्री गौरी शंकर	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित घोषित(ग्रामीण क्षेत्र)
7.	श्री मंगेज कुमार	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित घोषित(ग्रामीण क्षेत्र)
8.	श्री कृष्ण चन्द्र	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित घोषित(ग्रामीण क्षेत्र)
9.	श्रीमती किरण	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित घोषित(ग्रामीण क्षेत्र)
10.	श्री दुनीराम	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित घोषित(ग्रामीण क्षेत्र)
11.	श्री अजीत कुमार	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित घोषित(ग्रामीण क्षेत्र)
12.	श्रीमती मंजू	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित घोषित(ग्रामीण क्षेत्र)
13.	श्रीमती सुशीला	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित घोषित(ग्रामीण क्षेत्र)
14.	श्रीमती सुमन	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित घोषित(ग्रामीण क्षेत्र)
15.	श्रीमती रोशनी देवी	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित घोषित(ग्रामीण क्षेत्र)
16.	श्री नवज्योत सिंह	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित घोषित(ग्रामीण क्षेत्र)
17.	श्री कुलदीप सिंह	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित घोषित(ग्रामीण क्षेत्र)
18.	श्री असलम अली	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित घोषित(शहरी क्षेत्र)
19.	श्रीमती वीणारानी चाचाण	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित घोषित(शहरी क्षेत्र)
20.	श्री रामस्वरूप	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित घोषित(शहरी क्षेत्र)
21.	श्री सुखवीर सिंह	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित घोषित(शहरी क्षेत्र)

जिला आयोजना समिति में निर्वाचित 20 सदस्यों के अतिरिक्त 5 अन्य सदस्य होगे, जिनमें जिले के जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद स्थाई सदस्य है। दो सदस्यों (माननीय लोक सभा/

विधान सभा/गैर स्वयं सेवा संथा के सदस्यों) का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है। मुख्य आयोजना अधिकारी जिला आयोजना समिति के सचिव रहेंगे।

जिला परिषद् एवं स्थानीय निकायों के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचित किये गये सदस्य जिला आयोजना समिति के तब तक ही सदस्य रहेंगे जब तक वे जिला परिषद्/स्थानीय निकाय के सदस्य रहते हैं।

संयुक्त शासन सचिव
जिला आयोजना

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, जिला हनुमानगढ़।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् हनुमानगढ़।
7. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् हनुमानगढ़।
8. मुख्य आयोजना अधिकारी, जिला हनुमानगढ़ को भेजकर लेख है कि जिला आयोजना समिति के सभी सदस्यों को उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

संयुक्त शासन सचिव
जिला आयोजना